SPECT
RESEARCH ASSOCIATION

बिहार चुनाव से पहले

बिहार में बैकडोर NRC

An Exclusive Report of
SPECT Research Association

बिहार चुनाव से पहले

बिहार में बैकडोर NRC

SPECT RESEARCH ASSOCIATION

An Exclusive Report of
SPECT Research Association

वोटर लिस्ट गहन निरक्षण के नाम पर बिहार में बैकडोर NRC?

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एक फैसले ने बिहार में एक नया संकट खड़ा कर दिया है। एक ऐसा फैसला जनता को अचानक से सुना दिया गया है जिसकी वजह से बिहार के लगभग 8 करोड़ वोटर पर न केवल उनके वोटर होने का संशय पैदा किया है बल्कि उन सबकी नागरिकता पर भी सवाल खड़ा हो गया है।

मामला ये हुआ है कि चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट का दुबारा से गहन निरीक्षण करने का फैसला किया है। 24 जून को चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर के ऐलान किया कि “बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरु किया जाएगा। सभी पात्र नागरिकों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रुप से भाग लेने के लिए राजनीतिक दलों को प्रोत्साहित किया जाएगा।”

जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ राजनीतिक हलकों में इसको ले कर एक हंगामा शुरु हो गया। विपक्षी नेताओं ने इसको बैकडोर से NRC बोलना शुरु कर दिया है।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. ECI/PN/233/2025 24.06.2025

Press Note

ECI to begin Special Intensive Revision of Electoral Rolls in Bihar
House-to-House verification to be done to ensure enrolment of all eligible Citizens
Political parties to be encouraged to participate actively in the revision process

The Election Commission of India (ECI) today issued instructions for holding Special Intensive Revision (SIR) in the State of Bihar as per the guidelines and schedule specified by the Commission. The objective of an intensified revision is to ensure that the names of all eligible citizens are included in the Electoral Roll (ER) so as to enable them to exercise their franchise, no ineligible voter is included in the electoral rolls and also to introduce complete transparency in the process of addition or deletion of electors in the electoral rolls. The last intensive revision for Bihar was conducted by the Commission in the year 2003.

Various reasons such as rapid urbanization, frequent migration, young citizens becoming eligible to vote, non-reporting of deaths and inclusion of the names of foreign illegal immigrants have necessitated the conduct of an intensive revision so as to ensure integrity and preparation of error-free electoral rolls. The Booth Level Officers (BLOs) shall be conducting house-to-house survey for verification during the process of this intensive revision.

विपक्ष के गंभीर सवाल

इस मामले में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग की मंशा पर गंभीर सवाल उठाये है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि जिस वोटर लिस्ट से 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें एक साल के अंदर संशोधन की क्या जरूरत है?

“2024 का लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर हुआ था, जिसमें जनता ने वोट दिया और केंद्र में NDA की सरकार बनी। अब अगर यही सूची गलत थी, तो क्या इसका मतलब यह है कि उस समय नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने गलत सूची तैयार की थी? क्या इससे उस सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता?”

चुनाव आयोग का ये आदेश क्यों?

हालिया चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मौजूदा वोटर को एक अलग गणना फॉर्म जमा करना होगा। 1 जनवरी, 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल होने वाले लोगों को अपनी नागरिकता का प्रमाण भी देना होगा।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि ‘पिछले 20 वर्षों के दौरान, बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने के कारण मतदाता सूची में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं’ और ‘तेजी से शहरीकरण और आबादी का एक जगह से दूसरी जगह लगातार पलायन हुआ है। इसलिए यह ‘विशेष गहन संशोधन’ अंततः सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को कवर करेगा।

चुनाव आयोग ने कहा है कि ये गहन निरीक्षण केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी किया जायेगा। इन सभी राज्यों में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले है।

आखिर क्या है आदेश?

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के मामले में मुख्य तौर पर तीन बिंदु कहे है;

1. पहला जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे हैं, उनको अपने जन्म का प्रमाण देना होगा।
2. दूसरा जो 1987 से 2 दिसम्बर 2004 के बीच जन्मे हैं, उन्हें अपने साथ-साथ माता-पिता में से किसी एक का कागज दिखाना होगा।
3. तीसरा 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपना और अपने माता-पिता दोनों का कागज दिखाना होगा अर्थात जन्म प्रमाणपत्र देने होंगे।

चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 में किया

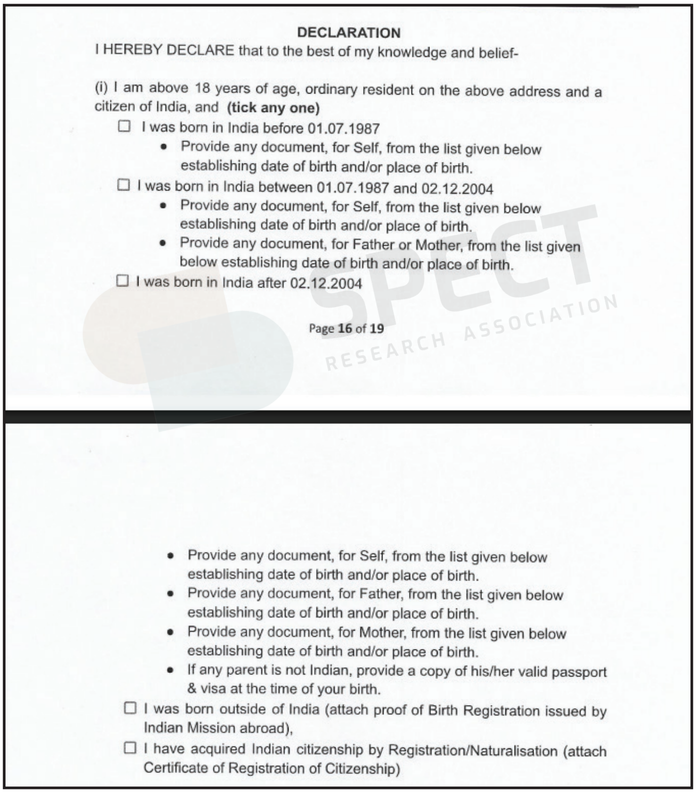

DECLARATION

I HEREBY DECLARE that to the best of my knowledge and belief-

(i) I am above 18 years of age, ordinary resident on the above address and a citizen of India, and **(tick any one)**

☐ I was born in India before 01.07.1987
- Provide any document, for Self, from the list given below establishing date of birth and/or place of birth.

☐ I was born in India between 01.07.1987 and 02.12.2004
- Provide any document, for Self, from the list given below establishing date of birth and/or place of birth.
- Provide any document, for Father or Mother, from the list given below establishing date of birth and/or place of birth.

☐ I was born in India after 02.12.2004

Page **16** of **19**

- Provide any document, for Self, from the list given below establishing date of birth and/or place of birth.
- Provide any document, for Father, from the list given below establishing date of birth and/or place of birth.
- Provide any document, for Mother, from the list given below establishing date of birth and/or place of birth.
- If any parent is not Indian, provide a copy of his/her valid passport & visa at the time of your birth.

☐ I was born outside of India (attach proof of Birth Registration issued by Indian Mission abroad),

☐ I have acquired Indian citizenship by Registration/Naturalisation (attach Certificate of Registration of Citizenship)

गया था, लेकिन तब इतनी सख्ती नहीं बरती गई थी। उस समय राजनीतिक संरक्षण के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवा लिए थे।

इस बार चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए एक नया घोषणा पत्र पेश किया है। इसके तहत जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाना चाहता है, उसे यह साबित करना होगा कि वह या उसके माता-पिता 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे थे। यदि जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच की है, तो माता-पिता के जन्म के प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे।

चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद खूब हंगामा होने के बाद ECI ने इस मामले में 30 जून को दुबारा नोटिफिकेशन जारी कर के कहा है कि 2003 की लिस्ट में शामिल 4.96 करोड़ वोटर को केवल फॉर्म भर के डिक्लेरेशन के साथ देना है। बाकि जो 2003 के बाद बने वोटर बने है उनको सभी को डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करवाना होगा।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. ECI/PN/237/2025 30.06.2025

Press Note

Bihar SIR: 2003 Electoral Rolls Uploaded on ECI Website
4.96 crore electors do not need to submit any documents
Children of these 4.96 crore electors need not submit any other document relating to their parents

The Election Commission of India has uploaded the 2003 Electoral Roll of Bihar, comprising details of 4.96 crore electors, on the ECI website - https://voters.eci.gov.in.

2. In Para 5 of ECI instructions dated June 24, 2025, it had been mentioned that the CEO/DEO/ERO shall make the Electoral Rolls with qualifying date of 01.01.2003 freely available to all BLOs in hard copy, as well as, online on their website for anyone to download and use as documentary evidence while submitting their Enumeration Form.

3. The ease of availability of 2003 Electoral Rolls of Bihar, would hugely facilitate the ongoing Special Intensive Revision (SIR) in Bihar as now nearly 60 per cent of the total electorate, would not have to submit any documents. They have to just verify their details from the 2003 Electoral Rolls in the ER and submit the filled-up Enumeration Form. Both, the electors as well the BLOs, would be able to readily access these details.

4. Further, as per instructions, anyone whose name is not in the 2003 Bihar Electoral Roll can still use the extract of 2003 Electoral Roll rather than providing any other documents for his/her mother or father. In such cases, no other document would be required for his/her mother or father. Only the relevant extract/details of the 2003 ER would be sufficient. Such electors would have to submit the documents, only for themselves, along with the filled-up Enumeration Form.

5. It is reiterated that before every election, revision of electoral roll is mandatory as per section 21(2)(a) of the Representation of People Act 1950 and Rule 25 of the Registration of Elector Rules 1960. ECI has been conducting annual revisions, intensive as well as summary, for 75 years by now.

6. This exercise is required as the Electoral Roll is always a dynamic list which keeps changing due to deaths, shifting of people due to various reasons such as migration due to occupation/education/marriage, addition of new voters who have turned 18 etc.

7. Further, Article 326 of the Constitution specifies the eligibility to become an elector. Only Indian citizens, above 18 years and ordinary residents in that constituency, are eligible to be registered as an elector.

आखिर एक नागरिक कैसे वोटर बनता है?

सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर भारत में एक नागरिक वोटर कैसे बनता है। किन शर्तों को पूरा करने के बाद उसे मतदाता सूची में शामिल कर के वोटर आईडी प्रदान कर दिया जाता है।

ये बात जान लीजिये कि एक नागरिक को वोटर बनने के लिए ECI की वेबसाइट या एप्प से फॉर्म 6 भरना होता है जिसमें एक आईडी प्रूफ और एक अड्रेस प्रोफ देना होता है। फिर उसकी जाँच सम्बधित क्षेत्र का BLO करता है जिसकी अप्रूवल के बाद ही वो व्यक्ति वोटर के रूप में रजिस्टर हो पाता है।

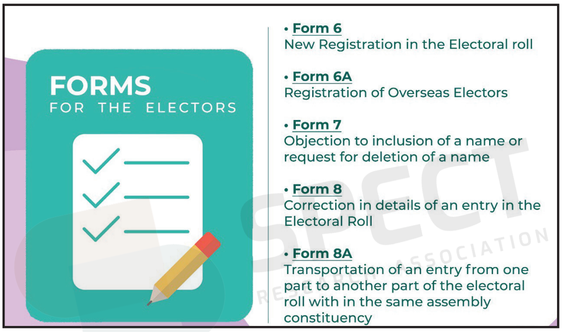

पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरें में?

अब यहाँ सवाल ये उत्पन होता है कि जब मतदाता सूची में शामिल होने के लिए BLO द्वारा डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन भी की जाती है तो फिर आखिर कैसे चुनाव आयोग ये बोल रहा है कि राजनीतिक संरक्षण में वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठिये शामिल हो गए है।

अगर चुनाव आयोग की बात को ही सच मान लिया जाए तो फिर ECI तो अपनी ही प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है कि अभी तक उसके जितने भी अधिकारियों ने काम किया है वो सब फर्जीवाड़ा था!

उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अगर बिहार के 7.79 करोड़ मतदाता की सूची सही नहीं थी तो ये प्रैक्टिस 2024 के लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं अपनायी गयी थी?

इसी मतदाता सूची के आधार पर अभी तक 2003 के बाद से अभी तक 4 विधानसभा चुनाव और 4 ही लोकसभा चुनाव हो चुके है तो क्या ये मान लिया जाये कि इन चुनावों में चुनी गयी सरकारें भी अवैध थी?

इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस रिपोर्ट या जाँच के आधार पर चुनाव आयोग ने ये तय कर लिया है कि बिहार में मतदाता सूची में इतने अवैध घुसपैठिये वोटर बन के शामिल हो चुके है?

इन सभी सवालों का चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

पूरी प्रक्रिया कब से कब तक?

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट करते हुए इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक टाइम लाइन तय की है। बिहार के तमाम वोटर के पास BLO एक तय फॉर्म के साथ जायेंगे जिसकी शुरुआत 25 जून से हो चुकी है। एक वोटर के पास इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट के साथ जमा करवाने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 है।

- चुनाव आयोग के अनुसार, 26 जुलाई तक बीएलओ को मौजूदा मतदाताओं वाले हर घर में जाकर पहले से भरे हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाने होंगे और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज़ भी इकट्ठा करने होंगे।
- बीएलओ हर घर में कम से कम तीन बार ऐसा करेंगे। मतदाताओं के पास ECI की वेबसाइट या ईसीआईएनईटी ऐप से अपने फॉर्म डाउनलोड करने और उन्हें ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी होगा।
- जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र 25 जुलाई तक प्राप्त नहीं होंगे, उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। नाम हटाने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चुनौती दी जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितम्बर 2025 को जारी कर दी जायेगी।

अब इस पूरी प्रक्रिया में भी बहुत सारे सवाल उत्पन होते है जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है;

- पहला सवाल तो ये है कि आखिर इतने बड़े राज्य बिहार में जहाँ लगभग 8 करोड़ मतदाता है उनसे फॉर्म के साथ नागरिकता साबित करने वाले डाक्यूमेंट्स हासिल करना लगभग नामुमकिन काम है! तो फिर ये पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठना तो लाज़मी है।

- दूसरा सवाल ये उत्पन होता है कि चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए बार में पहले से केवल 77,895 बीएलओ ही मौजूदा है। इसके अलावा अब 20,603 नए बीएलओ को और तैनात किया जा रहा है। अब ऐसे में केवल 1 लाख BLO केवल एक महीने में इस पूरी प्रक्रिया को कैसे पूरा करेंगे!
- तीसरा सवाल ये है कि जिस राज्य में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम 61% हो वहां पर डॉक्यूमेंट के नाम पर जन्म प्रमाणपत्र पर अधिक जोर देना कई सवालों को पैदा करता है?
- चौथा सवाल ये है कि वेरिफिकेशन के इस प्रोसेस में जिन डॉक्यूमेंट को मांगा गया है उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा जॉब कार्ड को आखिर शामिल क्यों नहीं किया गया है?

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. ECI/PN/236/2025 28.06.2025

Press Note

Special Intensive Revision in Bihar has already started

The Constitution of India is supreme. All citizens, political parties and the Election Commission of India follow the Constitution.

2. Article 326 specifies eligibility to become an elector. Only Indian citizens, above 18 years and ordinary resident in that constituency, are eligible.

3. Special Intensive Revision (SIR) has already started successfully in Bihar for verifying the eligibility of each elector with full participation of all Political Parties.

4. ECI already has 77,895 Booth Level Officers (BLOs) and is appointing nearly 20,603 more BLOs for new polling stations.

5. More than One Lakh volunteers will be assisting genuine electors, particularly the old, sick, Persons with Disabilities (PwD), poor and other vulnerable groups during the SIR.

6. All recognised National and State Political Parties who are registered with ECI have also already appointed 1,54,977 Booth Level Agents (BLAs). They can still appoint more BLAs.

7. Printing as well as door-to-door distribution of new Enumeration Forms (EF) for all the existing 7,89,69,844 electors of Bihar has already started in each of the 243 Assembly Constituencies of Bihar. Online filling of the new Enumeration Forms (EFs) has already been enabled and has also started successfully.

8. Out of the existing 7,89,69,844 electors, 4.96 Crore electors, whose names are already in the last intensive revision of Electoral Roll on 01.01.2003, have to simply verify so, fill the Enumeration Form and submit it.

9. All Divisional Commissioners and District Magistrates are engaging all the BLOs full time during the SIR.

10. SMSs are also being sent to the 5,74,07,022 registered mobile numbers of Bihar.

11. All activities relating to SIR are progressing well as per schedule.

पलायन में बिहार सबसे अग्रणी?

जो बिहार रोजगार के लिए पलायन के मामले में देश में सबसे अग्रणी हो उसी बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि वो एक महीने के अंदर BLO द्वारा सभी वोटर को गणना फॉर्म प्रदान कर दिया जायेगा और फिर उसे डॉक्यूमेंट के साथ वापस भी जमा करवा दिया जायेगा।

यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक बिहार के 2 करोड़ 90 लाख लोग फिलहाल रोजगार के लिए दूसरे राज्य में रह रहे हैं।

अब आप खुद बताये जिस राज्य की इतनी बड़ी गिनती रोजगार और बेहतर जीवन के लिए दूसरे राज्यों में रह रही हो वो भला एक महीने के भीतर वोटर वेरिफिकेशन कैसे कर सकती है!

इससे भी गंभीर बात ये है कि आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 15.8% लोग रोजगार के लिए बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.1% है। राज्य के 50% परिवारों पर पलायन का खतरा बना हुआ है।

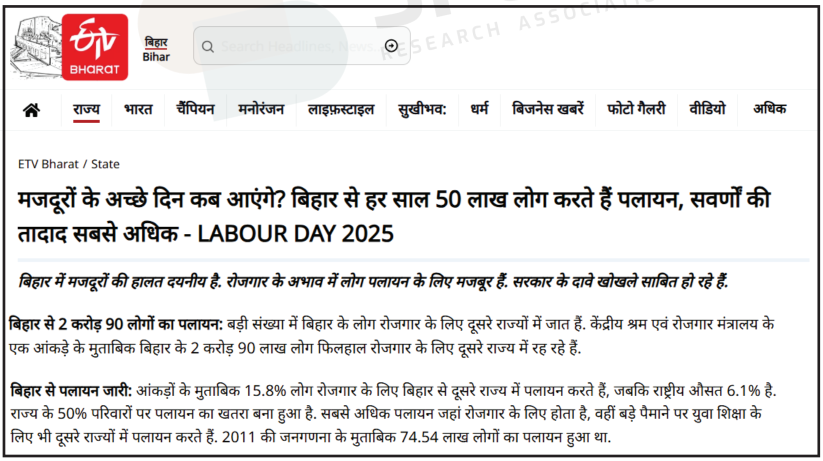

बिहार Bihar

राज्य | भारत | चैंपियन | मनोरंजन | लाइफ़स्टाइल | सुखीभव: | धर्म | बिजनेस खबरें | फोटो गैलरी | वीडियो | अधिक

ETV Bharat / State

मजदूरों के अच्छे दिन कब आएंगे? बिहार से हर साल 50 लाख लोग करते हैं पलायन, सवर्णों की तादाद सबसे अधिक - LABOUR DAY 2025

बिहार में मजदूरों की हालत दयनीय है. रोजगार के अभाव में लोग पलायन के लिए मजबूर हैं. सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं.

बिहार से 2 करोड़ 90 लोगों का पलायन: बड़ी संख्या में बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जात हैं. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक बिहार के 2 करोड़ 90 लाख लोग फिलहाल रोजगार के लिए दूसरे राज्य में रह रहे हैं.

बिहार से पलायन जारी: आंकड़ों के मुताबिक 15.8% लोग रोजगार के लिए बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.1% है. राज्य के 50% परिवारों पर पलायन का खतरा बना हुआ है. सबसे अधिक पलायन जहां रोजगार के लिए होता है, वहीं बड़े पैमाने पर युवा शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक 74.54 लाख लोगों का पलायन हुआ था.

सबसे अधिक पलायन जहां रोजगार के लिए होता है, वहीं बड़े पैमाने पर युवा शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 74.54 लाख लोगों का पलायन हुआ था।

प्रति वर्ष आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी?

आंकड़ें इस बात के गवाह है कि प्रति वर्ष आय के मामले में बिहार देश में बेहद पिछड़ा हुआ है। जहाँ पूरे देश में लोगों की औसत सालाना आय डेढ़ लाख रुपए तक है वहीं बिहार में ये केवल 50 हजार तक सीमित है।

Bihar: बिहार की प्रति व्यक्ति आय झारखंड-यूपी और ओडिशा से कम, कैग रिपोर्ट में कर्ज 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ने का खुलासा

Edited By: रवि सिन्हा | एजेंसियां • 11 Aug 2023, 10:58 am

Subscribe YouTube 12M

NBT नवभारत टाइम्स By THE TIMES OF INDIA

Per Capita Income: बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में फिसड्डी है। स्थिति इस कदर खराब है कि बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी पीछे है। वहीं राजकोषीय देनदारियों में 13 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

सरकारी आंकड़ें बताते है कि 2021-22 बिहार में प्रति वर्ष आय 54383 रुपए थी जबकि इसको अगर सीमांचल जैसे अति पिछड़े इलाके में देखें तो ये केवल 17 हजार तक सीमित हो जाती है।

अब यहाँ चुनाव आयोग से सवाल है कि जिस प्रदेश में एक व्यक्ति की महीने की आय केवल 4000 रुपए तक सीमित है, जो अपने खाने पीने और परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके सर पर कोई छत नहीं है उससे आप उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसके माता पिता की नागरिकता का सबूत मांग रहे हो तो ये कैसे मुमकिन है?

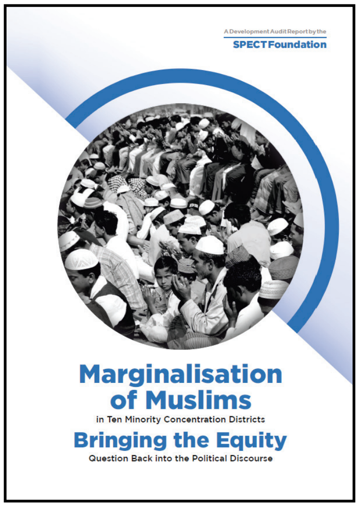

जो परिवार दो वक़्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहा है जिसके पास कोई घर नहीं है वो जन्म प्रमाणपत्र होगा ये सवाल तो केवल AC में बैठे बाबू जो धरातल की समस्याओं ने एक दम दूर हैं वही पूछ सकते है!

बिहार में सरकार खुद दावा करती है कि उसने 2021-22 में मनरेगा के तहत 48 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया था मगर उसी मनरेगा का आधिकारिक कार्ड चुनाव आयोग की वोटर वेरिफिकेशन की लिस्ट में शामिल नहीं है। ये कैसा अन्याय है?

राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है?

चुनाव आयोग द्वारा गहन वोटर वेरिफिकेशन पर जहाँ विपक्षी पार्टियां इस पर गंभीर सवाल उठा रही है वहीं सत्ता में शामिल सभी पार्टियां उम्मीद के मुताबिक इसके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है।

बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले में सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे है। उन्होंने कहा है कि, "आखिरी बार इस तरह की प्रक्रिया 2003 में हुई थी और तब इसे पूरा करने में लगभग 2 साल लगे थे। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं और नोटिफिकेशन आने में केवल 2 महीने बचे हैं। चुनाव आयोग को 8 करोड़ लोगों की वोटर लिस्ट को फिर से तैयार करना है, वो भी सिर्फ 25 दिनों के भीतर।"

"यह काम ऐसे वक्त में हो रहा है जब बिहार के 73 प्रतिशत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति रहती है। लोगों से 11 तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिनमें से अधिकतर दस्तावेज भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार केवल 2-3 प्रतिशत लोगों के पास ही होते हैं यानी साफ साजिश की बू आ रही है। चुनाव आयोग नोटिफिकेशन में बार-बार बदलाव हो रहा है।"

वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में सीधा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि "बिहार के आधे जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग अपनी जान बचाएंगे या फिर सरकार के सामने कागजात उपलब्ध कराने के लिए जद्दोजहद करेंगे। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को शुरु करने से पहले राजनीतिक दलों से कोई सहमति नहीं ली है। सरकार की साजिश है कि गरीब मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए जाएं।"

उन्होंने आगे कहा है कि "जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदाताओं के नाम निकल गए, वही प्रक्रिया बिहार में भी शुरु की गई है। इसके खिलाफ महागठबंधन के तमाम घटक दल लड़ाई के लिए तैयार हैं और भविष्य में हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटायेंगे।"

वहीं AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे 'बैकडोर एनआरसी' करार दिया है। यह प्रक्रिया एनआरसी की तरह आम नागरिकों को संदिग्ध बना सकती है।

उन्होंने ने स्पष्ट कहा है कि "बिहार में जो बैकडोर NRC लाया जा रहा है, वो असली नागरिकों और वोटरों को भी बाहर कर देगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के लोगों को और उनके माता-पिता को अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान 11 दस्तावेजों में से किसी एक से साबित करना होगा, लेकिन 2000 में सिर्फ 3.5% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र था।"

"बिहार जैसे राज्य में आज भी बड़ी आबादी के पास जन्म से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं. 2000 तक सिर्फ 3.5% लोगों के पास ही जन्म प्रमाणपत्र था। ऐसे में अगर माता-पिता के जन्म का भी दस्तावेज मांगा जा रहा है, तो यह लाखों लोगों को कानूनी झंझट में फंसा देगा।"

सी पी आई (माले) महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है, "गलत सलाह वाले विशेष गहन पुनरीक्षण के कारण संभावित मताधिकार से वंचित होने की स्थिति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को पराजित करेगी, जो भारत के संविधान और संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला है"

इस मामले में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि "यह चुनाव आयोग का नियमित काम है और विपक्षी दलों का इस बारे में राजनीतिक बयान देना बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण सभी के लिए फायदेमंद है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक लोगों को शामिल करने का अवसर है।"

वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता पर काबिज और प्रदेश में सत्ता की भागीदार भाजपा नेता मनोज शर्मा ने कहा कि "चुनाव आयोग ने इतने बड़े देश में सफलतापूर्वक चुनाव कराकर अपनी क्षमता का परिचय दिया है, और बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए वैश्विक उदाहरण स्थापित किया है।"

"जो पार्टियां फर्जी वोटर्स और वोटिंग पर निर्भर रहे हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं पर पहले ही रोक लगा दी है और अब वह फर्जी मतदान पर लगाम लगाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना पूरी तरह से अनुचित है।"

चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल क्यों उत्पन्न हो रहे है?

चुनाव आयोग के इस वोटर वेरिफिकेशन के आदेश के बाद लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाये जा रहे है। बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है।

आखिर चुनाव आयोग ने ये फैसला क्यों लिया है?

सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा हो रहा है कि आखिर चुनाव आयोग ने किस रिपोर्ट अथवा जाँच के आधार पर ये तय कर लिया है कि बिहार की वोटर लिस्ट में बड़ी गिनती में अवैध घुसपैठिये शामिल हो चुके हैं।

ऐसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए जिससे ये तय हुआ है कि पूरे बिहार के लगभग 7.89 करोड़ मतदाता को दुबारा से वेरीफाई किया। क्या अवैध घुसपैठ बिहार में इतनी बड़ी व्यापक हो चुकी है कि उसकी बुनियाद पर पूरे बिहार को लाइन में लगा कर कागज मांगे जा रहे है।

अगर एक समय के लिए मान भी लिया जाये कि वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठिये शामिल हो गए तो उन अधिकारीयों पर क्या करवाई होगी जिनके एक साइन की वजह से ये सब हुआ है। जिस BLO ने ऐसे वोटर बनाये उसी को अधिकार दिया जा रहा है कि वो लोगों की नागरिकता की जाँच करें।

चुनाव आयोग नागरिकता कैसे तय कर सकता है?

अब यहाँ पर एक सांवैधानिक सवाल भी उत्पन्न हो रहा है कि आखिर कैसे चुनाव आयोग नागरिकता को साबित करने का पैमाना तय कर सकता है। क्या क़ानूनी तौर पर ये तय हो चुका है कि नागरिकता को तय करने का अधिकार अघोषित तौर पर चुनाव आयोग के पास होगा।

जिस चुनाव आयोग के जिम्मे ये काम है कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव का आयोजन करें वो अब लोगों की नागरिकता की जाँच करने का भी काम करेगा क्या?

इसी चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष द्वारा चुनाव में धांधली और गड़बड़ी का रोपी लगाती आ रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को ले कर तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधा चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा किया है। विपक्षी पार्टियां लगातार EVM को

ले कर सवाल उठा रही है जिसका जवाब भी अभी तक स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग ने नहीं दिया है।

इतने कम समय में पूरी प्रक्रिया कैसे मुमकिन?

सबसे बड़ा सवाल तो यही उत्पन्न होता है कि आखिर एक महीने के शार्ट टाइम में मतदाता सूची डॉक्यूमेंट सहित कैसे अपडेट की जायेगी। जब पूरे बिहार में पलायन का मसला है, खेती का पीक टाइम चल रहा है, एक बड़ी आबादी बाढ़ से पीड़ित है ऐसे में लोग 26 जुलाई तक अपने डॉक्यूमेंट के साथ गणना फॉर्म कैसे जमा करवा पाएंगे।

केवल एक लाख BLO लगभग 8 करोड़ वोटर की वेरिफिकेशन का जिम्मा कैसे उठा सकते है जबकि ये बात स्पष्ट है कि अधिकतर BLO सरकारी टीचर अथवा कर्मचारी ही होते है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि आगामी एक महीने तक वो कोई और काम नहीं करेंगे बल्कि केवल इसी काम में उनका समय गुजरेगा।

पूरी प्रक्रिया में BLO का बेहद ताकतवर होना?

चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद एक बात तय हो चुकी है कि BLO को बेहद ताकतवर बना दिया गया है। एक हिसाब से ये मान लिया जाये कि इस पूरी प्रक्रिया में BLO के पैसा ऐसा अधिकार है कि वो किसी को भी नागरिकता का आधार बना कर वोटर लिस्ट से बाहर कर सकता है।

जैसे वक़्फ़ के नए कानून में जिलाधिकारी को एक असीम ताकत दी गयी है कुछ वैसा ही इस मामले में BLO के लिए देखने को मिला है। जैसे डीएम वक़्फ़ के मामले में किसी को भी वक़्फ़ प्रॉपर्टी है अथवा नहीं करने का अधिकार देती है कुछ वैसा ही मामला यहां भी देखने को मिल रहा है।

अब BLO नागरिकता की बुनियाद पर किसी को भी संदिग्ध करार दे सकता है जिसके बाद उसका नाम वोटर लसित से बाहर कर दिया जायेगा।

पूरी प्रक्रिया का सबसे ज्यादा शिकार गरीब होंगे?

जिस बिहार में गरीबी अपनी चरमसीमा पर है, लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर के जाना पड़ता है वहां पर यक़ीनन इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा शिकार गरीब समुदाय ही होगा।

इसी मतदाता सूची में शामिल जिन लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता की चाबी सौंपी थी अब उस मतदाता को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया जा

रहा है। जिस मतदाता के वोट की वजह से राज्य और केंद्र में सरकार चल रही है वही अब पूछ रहे है तुम मतदाता कैसे हो ये साबित करो!

इस समय पूरे बिहार में खेती का सबसे पीक समय चल रहा है। अधिकतर इलाकों में बाढ़ की वजह से गरीब लोग प्रभावित है उनसे चुनाव आयोग नागरिकता का सवाल डॉक्यूमेंट के साथ पूछ रहा है।

चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को NRC क्यों कहा जा रहा है?

इस पुरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही उत्पन्न हुआ है कि जो NRC का काम मोदी सरकार नहीं करवा सकी है वही NRC का काम चुनाव आयोग चोर दरवाजे से कर रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों समेत देशव्यापी तौर पर इस पूरे मामले को बैकडोर से NRC कहे जाने के कुछ स्पष्ट कारण हैं।

जैसे NRC के लिए कहा जाता है कि आप अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए अपना जन्म प्रमाणपत्र और अपने माता पिता के प्रमाणपत्र दिखाओ बिलकुल वैसे ही इस मामले में भी किया जा रहा है।

- उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस आधार कार्ड को सब जगह अनिवार्य तौर पर लिंक किया जा रहा है तो अगर उसको कोई प्रूफ की नहीं माना जायेगा तो उसका क्या फायदा है?
- जिस पैन कार्ड से आपका बैंक अकाउंट खुलता है, आपकी सभी वित्तीय मामले तय होते है उसको भी डॉक्यूमेंट नहीं मानना बड़े सवाल उत्पन्न करता है!
- ड्राइविंग लाइसेंस बेहद कठिन है बनवाना इसके बावजूद उसको भी आईडी नहीं मानना चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है।
- एक सरकार मनरेगा कार्ड से 50 लाख रोजगार दे सकती है मगर उस कार्ड की डॉक्यूमेंट में कोई अहमियत नहीं है ये तो बड़ी अजीब बात है!

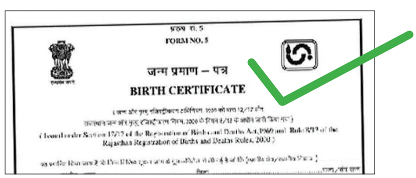

Follow us: /SPECT Foundation